5/1/2021 वकील प्रार्थी के द्वारा उपस्थित होकर न्यायालय के समक्ष निवेदन किया गया कि पूर्वतन संस्थित प्रार्थना पत्र संख्या 65/2020 के संबंध में मेरे मुवक्किल अथवा मुझे जानकारी नहीं थी, अतः हस्तगत प्रार्थना पत्र को पूर्वतन संस्थित प्रार्थना पत्र के साथ कंसोलिडेट किया जावे।

दोनो प्रार्थना पत्रों (65/2020 एवं 75/2020) के अवलोकन से पूर्णतः स्पष्ट है कि दोनों वाद/प्रार्थना पत्रों की विषय वस्तु, घरु बँटवारा से संबंधित भूमि की विशिष्टियाँ, चाहा गया अनुतोष इत्यादि पूर्णतः समान है।

अतः विवाद्य विषय पूर्वतन संस्थित प्रार्थना पत्र संख्या 65/2020 एवं पश्चातवर्ती संस्थित प्रार्थना पत्र (हस्तगत) 75/2020 में संबंधित पक्षकारों के बीच प्रत्यक्षतः विवाद्य होने के कारण पश्चात्‌वर्ती संस्थित वाद/प्रार्थना पत्र को [illegible] प्रक्रिया संहिता की धारा 10 [illegible] रोक दिया जाने का आदेश दिया जाता है एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.01.23 15:24:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

आदेश तारीख	आदेश का विवरण मय अधिकारी के लघु हस्ताक्षर	आदेश की पा... की गई कार्य...
	रीडर, न्यायालय हाजा को आदेशित किया जाता है कि वह हस्तगत प्रार्थना पत्र से संबंधित पत्रावली को पूर्वतन संस्थित प्रार्थना पत्र से संबंधित पत्रावली के साथ कंसोलिडेट करें। प्रार्थी अपना पक्ष पूर्वतन संस्थित प्रार्थना पत्र में रखने के लिए पूर्ण स्वतन्त्र है। पत्रावली को फैसल शुमार माना जावे। 6/1/21 (पवन कुमार) उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़	

Signature Not Verified

Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.01.23 15:24:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner